Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्र0सं0 33 / 202

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.07.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डल) द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब के साथ अपीलार्थी श्री रामनिवास पटवारी के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश की गई है। यह अपील राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के अंतर्गत जैरकार है, जिसमें अपलार्थी के स्वयं के फौत हो जाने संबंधी तथ्य इस न्यायालय के संज्ञान में आए है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 के तहत वृद्धावस्था पेंशन 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूष को जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं होने पर दी जाती है एवं पेंशनर की मृत्यु पर समाप्त की जाती है। इस प्रकरण में अपीलार्थी के स्वयं के फौत हो जाने से एवं पेंशन नियमानुसार विधिक वारिसान को लाभ नहीं मिल पाने से इस अपील प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही इस न्यायालय स्तर से शेष नहीं बचती है। अतः अपील अंतर्गत राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। (आशीष मोदी) जिला कलक्टर भीलवाड़ा	